

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 449/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

101
श्री जय कुमार सिंह श्री सूर्यभान सिंह
जय कुमार सिंह, सी./ओ. नारायण सिंह, 33/ए.
राजघराना कालोनी, व्हाइट हाउस के पीछे, अमेरी बिलासपुर
छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 450/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

102
श्री कृष्ण कुमार कंवर श्री दुजराम कंवर
ग्राम सुन्दरेली, पो. जर्वे, ढाया बाराद्वार, तह. सक्ती, जिला
जांजगीर चांपा, पिन 495687

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचान चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 451/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


103
श्री मणीशंकर खुसरो श्री जनक राम खुसरो
ग्राम+पो. काठाकोनी, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 452/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


104
श्री अभिषेक कुमार कुजुर श्री सुदर्शन कुजुर
तिफरा पुलिस कालोनी, म.क. ए/59, बिलासपुर छ0ग0,
495001

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 453/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

105
श्री ललित कुमार ध्रुव श्री एच.के. ध्रुव
क्वा.न. ए/124, सिचाई कालोनी रूद्री, धमतरी छ0ग0,
493776

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 454 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


106
श्री छत्तर सिंह श्री रामलाल
ग्राम बंजारी, पो. कोथारी, तह. करतला, जिला कोरबा,
छ0ग0, 495671

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 455/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

107
श्री राहूल कुमार उईके स्व. श्री रतन सिंह उईके
म.क. 52, प. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड कोण्डागांव,
जिला+तह. कोण्डागांव, छ0.ग0, 494226

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 456/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

108
श्री अनिवेश सिंह ध्रुव श्री रामायण सिंह ध्रुव
पुराना सरकण्डा माता चौक, बिलासपुर छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 457 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


109
श्री चन्द्रेश कुमार कंवर श्री लोमन सिंह कंवर
गंगा नगर सेक्टर 2, मकान नं. 612, मंगला, बिलासपुर
छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 458/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

110
श्री जयजितेन्द्र सिंह श्री सुदन सिंह
मडवाढोढ़ा पो. बांकीमांगरा, जिला कोरबा, छ0ग0, 495447

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 459/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

111
श्री अमीत कुमार श्री देवसिंह
ग्राम सुन्दरेली, पो. जर्वे, ढाया बाराद्वार, तह. सक्ती, जिला
जांजगीर चांपा, पिन 495687

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 460/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

112
श्री धमेन्द्र कुमार वट्टी श्री दृगभान वट्टी
ग्राम भैंसमुड़ी, (गागरू) पोस्ट धनेसरा, तह. नरहरपुर, जिला
कांकर छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 461/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


113
श्री आशीष कुमार श्री रविशंकर
मु.+पो. चोरिया (तेंदूवा) थाना सारागांव, जिला जांजगीर
चांपा, छ0ग0, 495686

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 462/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


114
श्री विरेन्द्र सिंह श्री सुखसागर सिंह
मु.+पो. कोयारी, व्हा.-चाम्पा, तह. करतला, जिला कोरबा,
छ0ग0, 495671

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 463/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


115
श्री राजकुमार पोर्ते श्री लल्लाराम पोर्ते
राजकुमार पोर्ते, ग्राम बेड़ापाट, पोस्टे करगीखुर्द व्हाया कोटा,
जिला बिलासपुर छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 464 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


116
श्री इन्द्रपाल सिंह कंवर श्री भुवन पाल सिंह कंवर
ग्राम नवापारा, पोस्ट रजकम्मा, थाना कटघोरा, जिला
कोरबा, छ0ग0, 495445

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 465/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


117
श्री शोमित कुमार राठिया श्री गुन सिंह राठिया
कार्यालय जिला न्यायालय रायगढ़ छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 466/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


118
श्री संतोष मरावी श्री बाबूराम
ग्राम गाड़ाघाट, पो. छअन, तह. मुंगेली, जिला मुंगेली, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 467 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

119
श्री विनोद टोपों श्री बेन्जामिन टोपों
ग्राम आमगांव, तह0 मनोरा, जिला जशपुर

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 468/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


120
श्री जयन्त खलखो श्री हेण्डरी खलखो
ग्राम+पोस्ट लोधमा, 4तह. कुनकुरी, जिला जशपुर छ0ग0,
496225

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 469/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

121
श्री सुरेन्द्र कुमार श्री अम्बिका प्रसाद
ग्राम खौड़ा, (महुआपारा) पोस्ट महोरा, थाना पटना, तह0
बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 470/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


122
श्री हेमेन्द्र कुमार ध्रुव श्री सुरेश
हेमेन्द्र कुमार ध्रुव/द्वारा रागोपाल मरावी, नूतन कालोनी,
सरकण्डा, बिलासपुर, मकान नं. आई0 16, पिन 495001

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 471/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

123
श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह कंवर श्री राधेश्याम कंवर
वार्ड क. 8, रमन नगर, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा,
छ0ग0, 495668

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 472/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


124
श्री आकांशु मंझवार श्री आनंद मंझवार
वैष्णवी विहार, फेस-01, हाउस नं. 2, उसलापुर, बिलासपुर
छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 473/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

125
श्री शिवशरण सिंह श्री गुलाब सिंह
ग्राम कपरिया, वार्ड नं. 10, मोहल्ला पनिकाबहरा, पोस्ट
कछौड़, तह. मनेन्द्रगढ़, थाना केल्हारी, जिला कोरिया,
छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 474/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


126
श्री राजेन्द्र सिंह तिलगाम स्व० श्री भानू सिंह तिलगाम
पंजरी प्लॉट, जी०ए०डी कॉलोनी, मकान नं० आई०/०९,
रायगढ़ छ०ग०

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ०ग०)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 475/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


127
श्री विरेन्द्र कुमार श्री धनीराम
ग्राम बुढियापाली, पोस्ट सोहागपुर, तह0 करतला, जिला
कोरबा, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 476/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

128
श्री रमेश कुमार श्री फिरुराम
ग्राम-पराढ़ी (बेंगचुल भांठा) पोस्ट तिलकेजा, व्हाया- भैंसमा,
थाना उरगा, तह. व जिला कोरबा, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 477 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

129
श्री लियो रूबी एक्का स्व0 इग्नासियुस एक्का
ग्राम करंजटोली, पोस्ट0 जरिया, तह0 मनोरा, जिला जशपुर,
छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 478/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


130
श्री दिजेन्द्र कुमार श्री जेदूराम
ग्राम रानीडेश, पोस्ट बांधा, तह0 तखपुर, जिला बिलासपुर
छ0ग0, 495115

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 479/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

131
श्री परमेश्वर प्रसाद मार्को श्री गयादिन मार्को
ग्राम सरसेनी, पो0 सकर्ना, थाना हिरी, जिला बिलासपुर
छ0ग0,

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 480/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


132
श्री राजेश श्री मोहन लाल
स्वर्ण जयंती नगर, जरहाभाठा, बिलासपुर छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 481/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


133
श्री सुरेन्द्र कुमार श्री मोहर सिंह
पुरानी बस्ती दर्सी, बरगद चौक, पोस्ट जमनीपाली, जिला
कोरबा, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 482/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


134
श्री अशोक सिंह पैकरा श्री रति राम पैकरा
ग्राम कोटमी खुर्द, पोस्ट बस्ती बगरा, तह0 पेण्ड्रा रोड,
जिला बिलासपुर छ0ग0, 495119

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 483/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


135
श्री संतराम सिदार श्री सुरहुती राम सिदार
मु. कुसुमझर, पोस्ट डभरा, तह.+थाना डभरा, जिला
जांजगीर चांपा, छ0ग0, 495688

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 484 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


136
श्री रामनारायण गोड़ श्री चमरु गोड़
ग्राम+पोस्ट खैरा जयरामनगर, तह.+थाना मस्तुरी, जिला
बिलासपुर छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 485/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

137
श्री मुकेश कुमार श्री जेटू सिंह
ग्राम मरहीकापा, पो0-करगीखुर्द, तह0 तखतपुर, जिला
बिलासपुर छ0ग0, 495113

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 486/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

138
श्री नरेन्द्र सिंह पोर्ते श्री स्व० बाबूलाल पोर्ते
ग्राम+पोस्ट बैतलपुर, तह. पथरिया, जिला मुंगेली, छ०ग०

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ०ग०)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 487 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


139
श्री बाबूलाल श्री पुरन राम
ग्राम+पोस्ट सोनगरा, तह. प्रतापुर, थाना भटगांव, जिला
सूरजपुर, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 488 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


140
श्री धीरेन्द्र सिदार श्री आनन्द राम सिदार
पाढीमार भदरापारा, शहीद वीर नारायण स्कूल के पास,
बालको नगर, जिला कोरबा, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 489/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


141
श्री कीर्ति इन्दवार श्री स्व० विरेन्द्र इन्दवार
ग्राम बांसपतरा, पोस्ट चरईडांड, तह० दुलदुला, जिला
जशपुर, छ०ग०? 496334

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ०ग०)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 490/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


142
श्री विरेन्द्र कुमार ध्रुव श्री राजमन ध्रुव
बोधनी देवी नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, हजारीगुड़ा, पो0 पण्डरीपानी,
जगदलपुर, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 491/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

143


श्री आकसित इंजवल टोखो श्री जोहन टोखो
ग्राम+पोस्ट कटकोना कालटी तुलसी चौक, थाना पटना,
तह0 बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ0ग0, 497331

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 492/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


144
श्री दिलीप कुमार श्री दुहन सिंह
ग्राम+पोस्ट पेट, थाना सीतापुर, तह0 मैनापाट, जिला
सरगुजा, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 493/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

145
श्री राजेश कुमार कंवर श्री मुरली लाल कंवर
सोमवारी बाजार दीपका, वार्ड क. 01, पोस्ट+ग्राम दीपका,
जिला कोरबा, छ0ग0, 495452

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 494 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


146
श्री नरेश कुमार पोर्ते श्री देवलाल सिंह पोर्ते
मेंडरापारा रतनपुर, तह0 कोटा, जिला बिलासपुर छ0ग0,
495442

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 495/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

147
श्री उमंदलाल बिंझवार श्री खीकराम बिंझवार
ग्राम जोगीपाली, पोस्ट कनकी, तह0 करतला, जिला कोरबा,
छ0ग0, 495446

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 496/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


148
श्री गोविंद सिंह कंवर श्री मंगल सिंह कंवर
आजाद नगर (दुरवा) पोस्ट दुरवा, जिला कोरबा, छ0ग0,
495454

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 497 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

149
श्री उदय सिंह सिदार श्री पुरुषोत्तम सिदार
पं0 दीन दयाल कॉलानी, एल0आई0जी0-365,
एस0ई0सी0-04, एम0 मंगला, बिलासपुर छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 498/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


150
श्री छगन कुमार श्री राजूलाल
ग्राम-बोरसी भाठा, वार्ड क्र0 50, जिला व तह0 दुर्ग,
491001

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 499/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


151
श्री अनिल कुमार खलखो श्री बाबूलाल
मु0 आमाघाट, पोस्ट+तह0 तमनार, जिला रायगढ़, छ0ग0,
496107

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 500/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


152
श्री मधुपाल सिंह श्री कंचन सिंह
मुकाम महमदपुर, पोस्ट बरगवां, तह0 अकलतरा, जिला
जांजगीर चाम्पा, छ00ग, 495552

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 501/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


153
श्री कृष्णा राय राठिया श्री रामकुमार राठिया
मु0 नया रामपुर, पोस्ट रायकेरा, तह. घरघोड़ा, जिला
रायगढ़, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 502/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

154
श्री कृष्णा लाल श्री इतवार सिंह
ग्राम व पोस्ट सुतरा, तह0 पोड़ी उपरोड़ा, थाना कटघोरा,
जिला कोरबा, छ0ग0, 495445

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 503/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


155
श्री शंकर सिंह राठिया श्री कन्हारि सिंह राठिया
ग्राम+पोस्ट सोलवां, व्हाया, भैसमा, थाना श्यांग, तह+जिला
कोरबा, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 504 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


156
श्री अवध कुमार उरॉव स्व० जगदीश प्रसाद उरॉव
ग्राम+पोस्ट रगजा, तह. सक्ती, जिला जाजगीर चांपा,
छ०ग०, 495689

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ०ग०)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 505/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

157
श्री नरेन्द्र सिंह कंवर श्री परदेशी राम कंवर
मकान नं. 722, वार्ड क्र. 01, मिशन रोड, पटेल पारा कोरबा,
जिला कोरबा, छ0ग0, 495678

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 506/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

158
श्री रामशंकर राज श्री जयराम सिंह राज
ग्राम कोईलारीपारा, पोस्ट उमरिया, दादर, ढाया बेलगहना,
जिला बिलासपुर 495116,

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्युलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 507 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


159
श्री आशीष कुमार राज श्री जामून सिंह राज
भरत यादव के मकान के पास, जोरापारा सरकण्डा, पोस्ट
एस0ई0सी0एल0 सरकण्डा, बिलासपुर छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 508 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


160
श्री दीपक कुमार भानु श्री दशरथ प्रसाद भानु
क्वार्टर नं. एन.ई. 83, सी0एस0ई0बी0 कॉलोनी, कोरबा, पूर्व
छ0ग0,

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 509/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


161
श्री उमेश कुमार श्री रामानुज
विद्या आटा चक्की, पिपल चौक, इमलीभाठा, वार्ड क्र0 55,
बंधवापारा, सरकण्डा, बिलासपुर छ0ग0, 495001

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 510/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

162
श्री रामभजन सिंह श्री शिवशंकर सिंह
ग्राम+पोस्ट पुटीपखना, थाना पसान, वि०ख० पोड़ी उपरोड़ा,
जिला कोरबा, छ०ग०

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ०ग०)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 511/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


163
श्री बसंत कुमार धुर्वे श्री सुरीत राम धुर्वे
मकान नं. 15/बी. सड़क न. 37/सी. सेक्टर-7, भिलाई,
नगर दुर्ग छ0ग0, 490006

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 512/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


164
श्री रामनारायण श्रीराम
वार्ड नं. 15, धौराभाठा, पोस्ट कोटा, तह0 कोटा, जिला
बिलासपुर, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 513/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


165
श्री बंधुरसिंह पैकरा श्री मानसिंह
एम 15, यदुनंदननगर, तिफरा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर
छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 514 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

166


श्री अजय प्रकाश श्री सोमार साय
अजय प्रकाश, पानी टंकी रोड फुन्दुरडिहारी लकड़ापारा,
अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

**कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019**

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 515/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

167
श्री विजय कुमार राज श्री कल्याण सिंह
ग्राम कटोरी, नगोई, पोस्ट रावा, तह0 पोड़ी उपरोड़ा, जिला
कोरबा, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 516/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

168
श्री नीलेश्वर श्री उमैद सिंह
35/2-सी., रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला दुर्ग, 490006

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 517/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

169


श्री दशरथ राम भगत श्री सरजू राम भगत
कदम टोली, वार्ड नं. 01, जशपुर नगर, छ0ग0, 496331

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 518/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


170
श्री अजय कुमार राठिया श्री फूलसिंह राठिया
मुकाम पनारी, पोस्ट जजंग, तह0 सकती, जिला जांजगीर
चांपा, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 519/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


171
श्री रेमन लाल श्री पीताम्बर
ग्राम गोरकापार, पोस्ट गब्दी, तह0 गुण्डरदेही, जिला बालोद
छ0ग0, 491225

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 520/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

172
श्री रामेश्वर सिंह मरावी श्री नेपाल सिंह मरावी
रामेश्वर सिंह मरावी, तेजलाल गबेल, एन./एफ. 186 के
सामने, पथरीपारा, सी0एस0ई0बी0 कॉलोनी, कोरबा पूर्व,
छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

**कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019**

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 521/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

173
श्री बिजेन्द्र कुमार कंवर श्री लक्ष्मीनारायण कंवर
ग्राम चारपारा, पोस्ट नगरदा, तह0 सक्ती, थाना बाराद्वार,
जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0, 495687

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 522/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


174
श्री जय कुमार सिंह श्री सूर्यभान सिंह
जय कुमार सिंह, श्री नारायण सिंह, 33/ए0, राजघराना
कालोनी, व्हाइट हाउस के पीछे अमेरी बिलासपुर 495001
छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 523/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

175
श्री कपिल देव सिंह श्री प्रदीप सिंह
ग्राम अमहर (सरनापारा), पोस्ट+थाना पटना, तह0
बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 524 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


176
श्री राजेन्द्र कुमार पुलस्त श्री देव सिंह पुलस्त
ग्राम गोपालपुर, पोस्ट चैतमा, तह0 पाली, जिला कोरबा,
छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 525/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


177
श्री रणवीर कुजूर श्री ओस्कर कुजूर
ग्राम डुम्बरटोली, पोस्ट-तह0 शंकरगढ़, जिला बलरामपुर,
छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 526/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

178
श्री इन्द्रेश कुमार श्री कुमत् राम जगत
इन्द्रेश कुमार जगत, ग्राम कुआँ, पोस्ट बोडसरा, ब्लॉक
बिल्हा, जिला बिलासपुर छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 527 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

179
श्री विरेन्द्र कुमार पोर्ते श्री जोधीराम पोर्ते
एफ-877 कैलाश विहार, एच.टी.पी.एस. दर्सी, कोरबा छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 528 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


180
श्री हिजकेल मिंज श्री हजियेल मिंज
ग्राम खिरटी, पोस्ट+चौकी मोरगा, तह0 पोडी उपरोडा,
जिला कोरबा, छ0ग0, 495445

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 529/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


181
श्री नरेन्द्रपाल श्री पत्थर सिंह
ग्राम झाबर, पोस्ट+थाना दीपका, तह0 कटघोरा, जिला
कोरबा, छ0ग0, 495452

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 530/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


182
श्री संतोष कुमार कंवर श्री देवलन सिंह कंवर
ग्राम सराइडीह भरापारा, पोस्ट तिलकेजा, तह0 कोरबा,
जिला कोरबा छ0ग0, 495674

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 531/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


183
श्री प्यारे सिंह स्व. श्री कमल सिंह
ग्राम विजयनगर खुशरूडीह, पोस्ट गेवरा प्रोजेक्ट, जिला
कोरबा, छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 532/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


184
श्री केशव सिंह मरकाम श्री कन्हैया सिंह मरकाम
केशव सिंह मरकाम, ग्राम+पोस्ट रंजना, तह0 कटघोरा,
थाना दीपका, जिला कोरबा छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 533/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


185
श्री संतोष कुमार पैकरा श्री मनी साय
ग्राम+पोस्ट+तह.+थाना फरसा बहार, जिला जशपुर, छ0ग0,
496242

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 534 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

186
श्री जीवराखन सिंह कंवर श्री हडारन सिंह
विजय नगर बिझरा, गेवरा परियोजना, जिला कोरबा छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 535/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


187
श्री प्रभुदयाल स्व. श्री नानसाय
म.क. 455, वार्ड नं. 41, नेहरू नगर, बालको, पोस्ट बालको
नगर, जिला कोरबा, छ0ग0, 495684

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 536/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


188
श्री सुरेश कुमार नभगेश श्री रन्धूलाल नभगेश
एफ./826, कैलाश विहार, जैलगांव चौक दर्री, पोस्ट
जमनीपाली, तह0 कटघोरा, जिला कोरबा, 495450

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

**कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019**

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 537 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


189
श्री योगेन्द्र सिंह सिदार श्री स्व. मनबोध सिंह सिदार
योगेन्द्र सिंह सिदार, सी./ओ. सुरेन्द्र सिंह सिदार, नगर
पालिका सारंगढ़, वार्ड क्र. 14, बुटीपारा, पोस्ट/तह.
सारंगढ़, जिला रायगढ़, छ0ग0, 496445

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 538 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

190
श्री ओमप्रकाश श्री देवीसिंह ठाकुर
ग्राम बेलहा, पोस्ट सुकुलकारी, तह. मस्तूरी, जिला
बिलासपुर, छ0ग0, 495551

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 539/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

191
श्री जगजीत सिंह कंवर श्री सुरभवन सिंह कंवर
ग्राम सेमीपाली, पोस्ट बांकीमोंगरा, तह. कटघोरा, जिला
कोरबा, छ0ग0, 495447

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 540/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


192
श्री बैसाखू राम ध्रुव श्री शिवकुमार ध्रुव
ग्राम गाड़ाघाट, पोस्ट छअन, तह. मुंगेली, जिला मुंगेली,
छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 541/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

193
श्री अनोश कुमार रंजन श्री मनोज कुमार रंजन
एस. टिकी, सत्य साई भजन हॉल के सामने गुम्बर पेट्रोल
पंप के पास, तोरवा चौक, बिलासपुर छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।


अध्यक्ष

चयन समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 542/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


194
श्री रमेश कुमार सिदार श्री रामझुल सिदार
ग्राम परसाही, नाला, पो0 पोड़ी (दल्हा), तह. अकलतरा,
जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0, 495552

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 543/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


195
श्री नरेश कुमार गावड़े श्री सर्वे कुमार गावड़े
नरेश कुमार गावड़े, कृष्ण कुमार नाग, वार्ड क्र. 11, नगर
पंचायत अंतागढ़, जिला उ0ब0 कांकरे, 494665

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 544 / 2018 / दो-12-1 / 2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


196
श्री प्रदीप कुमार कवर श्री विक्रम सिंह
प्रदीप कुमार, एम0डी-682, दीपका कालोनी,
डब्ल्यू0सी0एल0 गेवरा प्रोजेक्ट, जिला कोरबा, छ0ग0,
495452

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड (आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- 545/2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019

रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-


197
श्री सचिन ध्रुव श्री मनोज
एकता कॉलोनी, मुरुम खदान खमतराई, पब्लिक स्कूल के
पास बिलासपुर छ0ग0

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा

दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाड़विंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाड़विंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> मे देखा जा सकेगा।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
वाहन चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा-2019

प्रवेश-पत्र

जावक क्रमांक- /2018/दो-12-1/2018

बिलासपुर दिनांक 22.10.2019


रोल नंबर -
परीक्षार्थी एवं पिता/पति का नाम
व पता-

--

आवेदन पत्र में
दर्शित अनुसार
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

लिखित परीक्षा	
दिनांक	24 नवम्बर, 2019
दिन	रविवार
समय	प्रातः 11:00 से 12.00 बजे तक (दस्तावेज परीक्षण इत्यादि हेतु अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे के पूर्व उपस्थित रहे।)
परीक्षा केन्द्र	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ0ग0)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षक के
समक्ष हस्ताक्षर करें।



अध्यक्ष

चयन समिति/

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- लिखित परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व सभी अनिवार्य दस्तावेजों यथा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची/ प्रमाण-पत्र, झाइविंग लाइसेंस, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र के स्वप्रमाणित प्रति तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड(आधार कार्ड उपलब्ध न होने पर पेन कार्ड, झाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्मार्ट कार्ड इत्यादि भी मान्य) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष की अनुमति के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले इंक का पेन ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने या पहचयन चिन्ह अंकित करने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त लिखित परीक्षा का आयोजन कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंका के मेरिट क्रम में 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- लिखित परीक्षा के परिणाम जिला न्यायालय के वेब साइट <http://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में देखा जा सकेगा।